संख्या-78/2026/आई/1365769/2026/65-2099/26/2024

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 16 जून, 2026

विषय:-निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थान पर नया वाहन क्रय किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-542/निदे0दि0स0/नजारत/2026-27 दिनांक 15.05.2026, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थान पर निदेशालय स्तर के अधिकारीगण के उपयोगार्थ VIRTUS 1.0 TSI 85kW MT Comfortline_अनुमानित मूल्य रू0 **9,33,151/-** का क्रय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निष्प्रयोज्य किये गये नीलाम विभागीय वाहन महिन्द्रा बोलोरो जीप के स्थान पर निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश के स्तर पर कार्यरत अधिकारीगण के उपयोगार्थ VIRTUS 1.0 TSI 85kW MT Comfortline **रू0** 9,33,151/- **में क्रय हेतु कुल रू0** 9,33,151/- **(रूपये नौ लाख तैंतीस हजार एक सौ इक्यावन मात्र)** की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(i) धनराशि के आहरण/व्यय नियमानुसार किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखी जायेगी।

(ii) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) वाहन का क्रय जेम पोर्टल द्वारा निर्धारित दरों पर किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(iv) वाहन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-58/2023/1621/18-2-2023/18-2099/372/2023-125(ल0उ0)/2014 दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(v) प्रश्नगत वाहन का क्रय जेम पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(vi) प्रश्नगत क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

(vii) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) प्रश्नगत वाहन क्रय की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता आदि का उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा।

(ix) निष्प्रयोज्य किये गये वाहन की नीलामी से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराया जाना निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग सुनिश्चित करेंगे।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-34-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालय का अधिष्ठान-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-E-4-30-X-2026-27 दिनांक 10.06.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या दिनांक व तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/ऑडिट प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।